

नम्बर व तारीख
जो इस हुक्म के
में जारी है

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

12
18
न्यायधी पेश हुई। वकील बादीगण/प्रतिवादीगण
स्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य जर्जों में
व्यक्त है/ प्रमाण पर है. फ़ावली मत आदेशानुसार
दिनांक 11/11/18 को पेश हो

15
न्यायधी पेश हुई। वकील बादीगण/प्रतिवादीगण
स्थित। पीठासीन अधिकारी अन्य जर्जों में
व्यक्त है/ प्रमाण पर है. फ़ावली मत आदेशानुसार
दिनांक 15/10/18 को पेश हो


1180
न्यायधी पेश हुई। पत्रावली का कवलेकन किया। पत्रावली पूर्व के
कार्य दिनों से कयाशीतान की तलवी में चल रही है। पत्रावली
के फ़ावली पर हे. फ़ावली मत आदेशानुसार
वेकलियें हुका हैं। आदेश के निम्न 5 सीपीसी के प्राधानानुसार
"Dismissal of suit where plaintiff, after summons
returned un served, fails for seven days to apply
for fresh summons. - (i) where, after a summons has
been issued to the dependant, or to one of several
dependants, and returned un served, the Plaintiff
fails, for a period of seven days from the date
of return made to the Court by the officer
ordinarily certifying to the Court returns made
by the serving officers, to apply for the issue
of a fresh summons the Court shall make an
order that the suit be dismissed as against
such dependant, unless the Plaintiff has within
the said period satisfied the Court that -
(a) he has failed after using his best endeavours to
discover the residence of the dependant who has
not been served, or (b) such dependant is avoiding
service of process, or (c) there is any other sufficient
cause of extending the time, in which case the
Court may extend the time for making such
application for such period as it thinks fit."



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर अहक हुक्म में
----------------	------------------------------------	------------------------------

212 आर्डीए इसी स्तर पर (वालीफ रिफरेंस है) पत्रावली
 से संबंधित मूल कांड भी समाप्त हो चुका है। पत्रावली में
 अन्य कोई कार्यवाही अफेयड नहीं है। पत्रावली खत्म
 हुआ होकर कांड तकनीक सार्विक सफर हो।




 उप खण्ड अधिकारी
 लक्ष्मणगढ़ (सीकर)